

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(अभिगम सेवा प्रभाग)
713, संचार भवन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 20-73/2006-एएस-

26 अक्टूबर, 2007

सेवा में

सभी एकीकृत अभिगम सेवा(यूएएस) लाइसेंसधारक

विषय : सेवा परीक्षण और प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले में यूएएस लाइसेंस करार का संशोधन।

यूएएस लाइसेंस करार के खंड 5.1 के अनुसरण में जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जनहित में या सेवा के समुचित संचालन हेतु किसी समय लाइसेंस के निबंधन और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है, लाइसेंसदाता एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से यूएएस लाइसेंस करार के खंड 8 को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित करता है, नामतः :

'8. सेवा प्रदायगी

8.1 लाइसेंसधारक लाइसेंस की प्रभावी तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रयोज्य प्रणालियाँ चालू करेगा। लाइसेंसदाता के प्राधिकृत परीक्षण दल द्वारा जारी किए गए परीक्षण प्रमाण-पत्र की तारीख, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, की गणना लाइसेंस करार की शर्त 35 के अनुसार परिसमाप्त नुकसानी की गणना करने के उद्देश्य से सेवा चालू करने की तारीख के रूप में की जाएगी। तथापि, लाइसेंसधारक लाइसेंसदाता के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता के बिना किसी समय उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करना शुरू कर सकता है।

2. लाइसेंस करार के अन्य सभी निबंधन और शर्तें जिनमें समय-समय पर जारी संशोधन और अनुदेश शामिल हैं, अपरिवर्तित रहेंगी।

3. कृपया पावती दें।

(आर0के0 गुप्ता)
सहायक महानिदेशक (एएस-)
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
दूरभाष सं0 : 23036574

प्रतिलिपि :

1. सचिव, ट्राई।
2. वरिष्ठ उपमहानिदेशक (टीईसी)/वरिष्ठ उपमहानिदेशक (सतर्कता)
3. उपमहानिदेशक (सुरक्षा)/उप महानिदेशक(सीएस) /उप महानिदेशक (डीएस)/उप महानिदेशक(एलएफ) दूरसंचार विभाग
4. उप महानिदेशक (सीएडए)दूरसंचार विभाग कृपया इस संशोधन को दूरसंचार की वेबसाइट पर अद्यतन कराने की व्यवस्था करें।